



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी म,प्र,

क्रमांक./ /एस डब्ल्यू/2020

सिवनी दिनांक 27/03-2020

2206

आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी के आदेश क्रमांक /2200/एसडब्ल्यू/2020 दिनांक 26/03/2020 के माध्यम से कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सिवनी जिले में कर्फ्यू लगाया गया है।

दैनिक जीवन की आवश्यक/बनुयादी आवश्यकताओं से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ आदि की आपूर्ति सहज सरल किए जाने हेतु विभिन्न दुकानों/प्रतिष्ठानों द्वारा घर पहुंच सेवा (होम डिलेवरी) की जा रही है। साथ ही फसल कटाई हेतु हार्वेस्टर, एस्ट्रारीपर, थ्रेसर आदि मशीनों से फसल कटाई किए जाने हेतु नियमानुसार छूट प्रदाय की गई है।

अतः उक्त सभी से संबंधित व्यापारियों/व्यवसायियों/कृषकों की समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न अधिकारी/कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है-

नोडल अधिकारी श्री मेहबूब खान, सहायक संचालक, क्षे.ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी - 9425170343

सहायक नोडल अधिकारी - जिला समन्वयक श्री सौरभ शुक्ला, म.प्र.जन अभियान परिषद जिला सिवनी - 9425175020


क्र	विवरण	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	विभाग का नाम	मोबाईल नंबर
1	दूध (फुटकर एवं थोक विक्रेताओं) एवं डेयरी संचालकों हेतु	श्री पी. डी. गुप्ता	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी	9425440402
2		श्री सी.के. चौबे	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी	9302101007
3	किराना फुटकर एवं थोक विक्रेताओं हेतु	श्री रविन्द्र पाल	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी	9893461434
4		श्री विनोद सिंह	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी	9424748447
5	सब्जी फुटकर एवं थोक विक्रेताओं हेतु	श्री सुभाष शर्मा	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी	9329239767
6		श्री आशीष तिवारी	म.प्र.जन अभियान परिषद जिला सिवनी	9302122578
7	हार्वेस्टर, एस्ट्रारीपर, थ्रेसर हेतु	श्री दिनेश खांडेलकर	जिला शिक्षा केन्द्र सिवनी	9425888683
8		श्री सतेन्द्र अवधिया	जिला शिक्षा केन्द्र सिवनी	8839096947
9	पशु आहार विक्रेताओं हेतु	श्री सत्यप्रकाश नामदेव	जिला पंचायत सिवनी	9407818197
10		श्री रोहित चावले	जनपद शिक्षा केन्द्र सिवनी	9407072143

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा।


(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर

जिला - सिवनी

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कमिश्नर जबलपुर, संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त तहसीलदार, जिला सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. उपसंचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय सिवनी की ओर प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश से संबंधित समाचार समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की ओर पालनार्थ।


कलेक्टर
जिला - सिवनी